छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/2005

क्रमांक एफ–10/ 9 /2005/वाक/पांच (8) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/ वाक/पॉच (71), दिनांक 12.11.2001, में 01.04.2005 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31/03/2005

क्रमांक एफ–10/ 9 /2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 9 /2005/वाक/पांच (8), दिनांक 31/3/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31/03/2005

No. F-10/ 9 /2005/CT/V (8) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12.11.2001, with effect from 01-04-2005, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (2) against serial No. 1 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

(iii). In column (2) against serial No. 3 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 31/03/2005

कमांक–एफ 10/10/2005/वाक./पांच (17)– केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 (कमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2005" के स्थान पर अंक "2006" प्रतिस्थापित किये जाये :–

स.क.	अधिसूचना कमांक	दिनांक
1.	एफ–10/392/2001/वाक/पॉच (71)	12.11.2001
2.	एफ–10/43/2002/वाक/पॉच (54)	02.05.2002
3.	एफ/10–15/2002/वाक/पॉच (83)	17.07.2002
4.	एफ–10–71/2003/वाक/पॉच (102)	06.10.2003
5.	एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (23)	23.02.2004

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31/03/2005

कमांक–एफ 10/10/2005/वाक./पांच – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/10/2005/वाक./पांच (17), दिनांक 31.03.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 31 /03 / 2005

No F 10 - 10/ 2005 / CT / V (17)- In exercise of Powers conferred by section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the state government hereby makes the following amendment : -

AMENDMENT

In the notifications given below for the figure related to period "2005", the figure "2006" shall be substituted:-

S.No.	Notification No.	Date
1.	F-10/392/2001/CT/V (71)	12-11-2001
2.	F-10/43/2002/CT/V (54)	02-05-2002
3.	F/10-15/2002/CT/V (83)	17-07-2002
4.	F/10-71/2003/CT/V (102)	06-10-2003
5.	F-10/6/2004/CT/V (23)	23-02-2004

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 11 /2005/वाक/पांच/(19) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10–16/2002/वाक/पॉच (16) दिनांक 12.02.2002 में 01.04.2005 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना में–

1. कालावधि से संबंधित अंक "2005" के स्थान पर अंक "2006" प्रतिस्थापित किया जाए।
2. अनुकमांक 1 के सामने कालम (3) में शब्दों "धारा 8(2) के अधीन सम्पूर्ण कर" के स्थान पर शब्दों "अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 11 /2005/वाक/पांच/–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/11/2005/ वाक/पांच/(19) दिनांक 01.04.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 01-04-2005

No.F-10/ 11 /2005/CT/V(19) - In exercise of Powers conferred by section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) the state government hereby makes the following amendment in notification number F-10-16/2002/CT/V (16) dated 12.02.2002 with effect from 01.04.2005:-

AMENDMENT

In the said notification –

1. for the figure related to period "2005", the figure "2006" shall be substituted.

2. in column (3) against serial number 1 for the words "whole of tax under section 8(2)" the words "partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 11 /2005 वाक/पांच (20) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–16/2002/वाक/पांच (17) दिनांक 12.02.2002 को 01.04.2005 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 11 /2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/ 11 / 2005/ वाक/पांच (20), दिनांक 01.04.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 01.04-2005

No. F-10/ 11 /2005/CT/V(20) - In exercise of the powers conferred by section 8(5) of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the state government hereby rescinds this department notification No. F-10-16/2002/CT/V(17) dated 12-02-2002 with effect from 01.04.2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005

क्रमांक एफ–10/18 /2002/वाक/पांच (24) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31 मार्च, 2006 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अ नु सू ची

अ. क.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	फेरो एलायज	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005

क्रमांक. एफ–10/18 /2002/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/18/2002/वाक/पांच (24), दिनांक 19/10/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 19 April, 2005

No. F-10/ 18 /2002/CT/V(21)) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication in official gazette to 31st March, 2006:-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Ferro Alloys	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

K.R. Misra
(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक : 31.05.2005

क्रमांक एफ 10/11/2005/वाक/पांच (31) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 10/16/2002/वाक/पांच (16) दिनांक 12.02.2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

यह संशोधन दिनांक 01.06.2005 से प्रभावशील होगा।

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (3) में अंक "2" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.एस.मिश्र)
सचिव

रायपुर, दिनांक : 31.05.2005

क्रमांक एफ 10/11/2005/वाक/पांच – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ– 10/11/2005/वाक/पांच (31) दिनांक 31.05.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस.मिश्र)
सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTNMENT
(COMMERCIAL TAX DEPARTMENT)
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAVAN, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31.05.2005

No.F-10/11/2005/CT/V(31) - In exercise of Powers conferred by section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) the state government hereby makes the following amendment in notification number F-10-16/2002/CT/V(16) dated 12.02.2002.

This amendment shall come into force with effect from 01.06.2005.

AMENDMENT

In the said notification, in column (3) against serial number 1 for the figure "2" the figure "1" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(D.S.Misra)
Secretary